न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू

हजारी बनाम सत्यनारायण

तनकीयात

1.आया वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकार वादीगण की खातेदारी भूमि ख0न0 2865 रकबा 0.10 बिस्वा में प्रतिवादीगण को सदा सर्वदा से पाबन्द किया जाने का आदेश प्रदान करे । की निमार्ण कार्य में व्यवधान नही करे ।

वादीगण

2.आया वादीगण उक्त भूमि का वास्तविक खातेदार नही है न ही वादी का कभी कब्जाकाश्त रहा है। दावा बनावटी लेकर प्रतिवादीगण को परेशान करने की नियति से पेश किया है अतः दावा खारिज फरमाया जावे ।

प्रतिवादीगण

दादरसी

उपखण्ड अधिकारी

पीपलू